दिल्ली, नोएडा, साहिबाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, मेरठ, हापुड़ से एक साथ प्रसारित

विशेष खबर

हर खबर की रखे खबर

विशेष खबर visheshkhabar

• वर्ष: • 2 अंक: 9
पृष्ठ : 8
गाजियाबाद
01 से 15 सितम्बर-2019
मूल्य: 10 रुपये
पाक्षिक समाचार पत्र

पेज-02 दिल्ली में सुरक्षित माहौल के लिए एनआरसी जरूरी

visheshkhabarvk@gmail.com

RNI: UPHIN/2017/74151

अन्दर के पेजों पर

3 भाजपा के खिलाफ कितना कारगर होगा केजरीवाल का 'मास्टर स्ट्रोक'

4 आपकी कुंडली से पितृ दोष को दूर करते हैं श्राद्ध

5 सावधान! कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे

8 यूनियोल माफियाओं का गोरखधंधा, शिकंजा कसने की तैयारी में डीएम

भाजपा संगठन की चुनाव प्रक्रिया शुरू

गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं, नियुक्ति होगी !

- अध्यक्ष पद की दौड़ में एक दर्जन नाम शामिल
- दो पूर्व अध्यक्ष भी बैठाने में लगे हैं गोटियां
- चुनाव अधिकारियों पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी

प्रदीप वर्मा

गाजियाबाद। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी गहमागहमी है और गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए नए और पुराने नेता एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है वह अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नेताओं को निराश करने वाली है। हाईकमान की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि संगठन में चुनाव नहीं, बल्कि नियुक्तियां होंगी, इसलिए बूथ, मंडल और महानगर व जिला अध्यक्ष पद के लिए सहमति बनाने का प्रयास करें। अगर ऐसा न हुआ तो अंतिम निर्णय हाईकमान का होगा।

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में संविधान के अनुसार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सक्रिय सदस्य बनाए जा चुके हैं। अब 18 सितंबर से 22 सितंबर तक पहले बूथ अध्यक्षों का चुनाव होगा। इसके बाद 19 से 20 अक्टूबर तक मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा और इसके बाद महानगर व जिला महानगर के अध्यक्ष चुने जाएंगे। इस चुनावी प्रक्रिया के तहत जिन लोगों ने 50 नए सदस्य बनाए हैं, उन्हें सक्रिय सदस्य बनाया गया है। जो बूथ अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इस चुनावी प्रक्रिया में गाजियाबाद महानगर भाजपा अध्यक्ष को लेकर खींचतान शुरू हो गई है।

गाजियाबाद महानगर के लिए भाजपा के जो नेता दावेदारी कर रहे हैं उनमें मुख्य रूप से पवन गोयल, संजीव शर्मा, अमित त्यागी, कामेश्वर त्यागी, मयंक गोयल, राजेश त्यागी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष मानसिंह गोस्वामी शामिल हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि क्षेत्रीय मंत्री व पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा और क्षेत्रीय महामंत्री अशोक मोंगा भी गुपचुप तरीके से अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने के लिए जुगत लगा रहे हैं। यह सभी नेता संगठन के नेताओं से अपने नाम पर सहमति बनाने को लेकर भाग दौड़ कर रहे हैं।

गाजियाबाद महानगर के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति भी हाईकमान की ओर से की गई है। जिसके तहत एटा के विधायक विपिन वर्मा डेविड को चुनाव अधिकारी और महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी को सहायक चुनाव अधिकारी बनाकर भेजा गया है। इन चुनाव अधिकारियों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के साथ-साथ आपसी सहमति से चुनाव संपन्न कराने का भी दायित्व है।

सूत्र बताते हैं कि भाजपा हाईकमान की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि आपसी सहमति से चुनाव कराने का प्रयास किया जाए अन्यथा आखरी फैसला लेने के लिए हाईकमान स्वतंत्र होगा। फिर चुनाव नहीं, नियुक्तियां होंगी। यही वजह है कि चुनाव अधिकारियों के ऊपर सहमति से चुनाव कराने की एक बड़ी जिम्मेदारी है?। अगर वह सहमति से चुनाव कराने में कामयाब नहीं हुए तो हाईकमान की नजर में उनके नंबर गिरेंगे।

बिजली दरों में वृद्धि से बढ़ा यूपी का सियासी पारा

लखनऊ। बिजली दरों के दामों में बढ़ोत्तरी के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। पहले से ही बिजली की दरों से बेहाल उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार का ये कदम तगड़ा झटका देने वाला है। एक ओर जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को राहत देने के लिए बिजली की दरों रियायत दे रही है। वहीं योगी सरकार ने मंदी के इस दौर में घरेलू के साथ व्यवसायिक उपभोक्ताओं को भी करंट लगाने का काम किया है। जिससे योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावतीव कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि पहले महंगे पेट्रोल-डीजल का बोझ और अब महंगी बिजली की मार से लोग हलकान है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आम जनता की जेब काटने में लगी है। क्यों? खजाने को खाली करके भाजपा सरकार अब मासूम जनता पर महंगाई का चाबुक चला कर रही है। कैसी सरकार है ये?

लगभग 12 फीसदी तक वृद्धि

दरअसल उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शहरी और कॉमर्शियल क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली की दरों में इजाफा कर दिया है। आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में जहां लगभग 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है वहीं औद्योगिक क्षेत्र में ये इजाफा करीब 10 फीसदी का किया गया है। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में फिक्स चार्ज 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। प्रदेश में आम लोगों-किसानों के विरोध के बाद भी बिजली की दरों में 10 से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है।

मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार द्वारा बिजली की दरों को बढ़ाने को मंजूरी देना पूरी तरह से जनविरोधी फैसला है। इससे प्रदेश की करोड़ों खासकर मेहनतकश जनता पर महंगाई का और ज्यादा बोझ बढ़ेगा। उनका जीवन और भी अधिक त्रस्त व कष्टदायी होगा। सरकार इसपर तुरन्त पुनर्विचार करे तो यह बेहतर होगा।

उधर मायावती के हमले के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश को सपा बसपा के पापों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। सपा-बसपा सरकार की कारगुजारियों से बिजली कंपनियां भारी घाटे में पहुंच गई हैं। इन्हें घाटे से उबारना बड़ी चुनौती है। सरकार को न चाहते हुए भी बिजली दरें बढ़ानी पड़ रही है।

संपादकीय

दिल्ली में सुरक्षित माहौल के लिए एनआरसी जरूरी

दिल्ली में बांग्लादेशियों की संख्या डेढ़ लाख से भी ज्यादा हो सकती है। दिल्ली पुलिस के लिए अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी सिर का दर्द बन गए हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों ने आधार कार्ड तक बनवा लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यहां अवैध रुप से रह रहे बांग्लादेशी दिल्ली में चोरी, स्नैचिंग और लूट जैसी वारदातों में शामिल रहते हैं। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को भारतीय तक कहने लगे हैं। पुलिस आधिकारियों के मुताबिक बांग्लादेशी लोग अवैध तरीके से बार्डर क्रास करके पश्चिम बंगाल की सीमाओं में दाखिल होते हैं।

विनीतकांत पाराशर

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी का मामला अब असम और पश्चिम बंगाल के बाद देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। वैसे तो दिल्ली में एनआरसी लागू कराने की मांग कोई नई नहीं है और इससे पहले भी वेस्ट दिल्ली से सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा संसद में दिल्ली के लिए एनआरसी की मांग कर चुके हैं। वर्मा ने दिल्ली पुलिस द्वारा 16,785 अवैध नागरिकों को डिपोर्ट किए जाने की बात कहते हुए सदन में कहा था कि ये अवैध नागरिक शहर में बड़ी संख्या में मौजूद हैं और अवैध रूप से राशन कार्ड हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीते वर्ष तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सर्वे कराने की मांग भी की थी। लेकिन असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने और इस लिस्ट में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को जगह मिलने व 19 लाख लोगों का इस सूची में नाम नहीं होने के बाद से ही एनआरसी को लेकर पूरे देश में जमकर राजनीति हो रही है। जिसके बाद अब इस मुद्दे की आग दिल्ली जा पहुंची है। सारे मामले पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की चुप्पी बरकरार है।

बीजेपी ये मांग कर रही है कि दिल्ली में एनआरसी लागू हो, क्योंकि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में घुसपैठिए रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 15 लाख बांग्लादेशी और एक बड़ी संख्या में रोहिंग्या रहते हैं। यहां तक कि समय-समय पर राजनीतिक लाभ के चक्कर में इन्हें राशनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अहम दस्तावेज और मकान तक मुहैया कराए जाते हैं। असम में एनआरसी के मुद्दे के बाद अब दिल्ली में भी ये मुद्दा गर्म है। दिल्ली के शाहीन बाग के पास श्रम विहार में रोहिंग्या का सबसे बड़ा कैंप है और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां करीब 250 रोहिंग्या परिवार रहते हैं। 1000 से भी ज्यादा झुग्गियों वाले इस कैंप में सिर्फ रोहिंग्या ही नहीं बांग्लादेशी और अलग-अलग राज्यों के लोग भी रहते हैं। कोई चार महीने तो कोई सालों से यहां रह रहे रोहिंग्या का दूसरा बड़ा कैंप कालिंदी कुंज में है। यहां रोहिंग्या के करीब 47 परिवार रहते हैं।

दिल्ली में बांग्लादेशियों की संख्या डेढ़ लाख से भी ज्यादा हो सकती है। दिल्ली पुलिस के लिए अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी सिर का दर्द बन गए हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों ने आधार कार्ड तक बनवा लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यहां अवैध रुप से रह रहे बांग्लादेशी दिल्ली में चोरी, स्नैचिंग और लूट जैसी वारदातों में शामिल रहते हैं। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को भारतीय तक कहने लगे हैं। पुलिस आधिकारियों के मुताबिक बांग्लादेशी लोग अवैध तरीके से बार्डर क्रास करके पश्चिम बंगाल की सीमाओं में दाखिल होते हैं। कुछ समय बाद पश्चिम बंगाल में रहकर नाम और पहचान बदलकर अपना पहचान पत्र बनवा लेते हैं और काम की तलाश में दिल्ली और अलग-अलग राज्यों में चले आते हैं। दिल्ली में सीमापुरी, लोनी, आउटर दिल्ली, विकासपुरी, सनलाइट कालोनी, ओखला, मुखर्जी नगर, जैसे इलाकों में ये लोग रहते हैं।

इन हालातों में अगर बीजेपी दिल्ली में एनसीआर लागू करने की बात कर रही है तो कोई गलत नहीं है। इस मामले में दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उनसे इस मामले को गंभीरता से लेने की गुजारिश की। भाजपा जिस तरह से एनआरसी को लेकर गंभीरता दिखा रही है, उससे उन लोगों के पेट में जरूर दर्द हो रहा है, जो वोटबैंक की राजनीति करने में जुटे है, लेकिन ये कदम निश्चित ही दिल्ली के लिए एक सुरक्षित माहौल पैदा करने में सहायक हो सकता है।

अच्छा खाएं-स्वस्थ रहे
आइडिया मसालों के संग

सुनहरा अवसर: अब आइडिया मसालों के साथ
व्यापार करके कमाएं लाखों रूपये महीना।
विभिन्न जिलों में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए
सम्पर्क करें: 9654008835

भाजपा के खिलाफ कितना कारगर होगा केजरीवाल का 'मास्टर स्ट्रोक'

- मुफ्त सेवाओं से कितना नुकसान-कितना फायदा
- भाजपा का राष्ट्रवाद कार्ड 'मुफ्त' पर पड़ेगा भारी!
- 'मुफ्त' की आड़ में वोटबैंक तैयार करने की जुगत

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कई सुविधाओं को या तो मुफ्त करने की घोषणा की है या फिर चार्जेज माफ करने का दांव चला है। वह राजनीतिक लिहाज से कितना मास्टर स्ट्रोक होगा, ये तो आने वाला समय ही बतायेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि बिजली, पानी, मेट्रो-बसों में सफर आदि में रियायतों की घोषणा के पीछे आम आदमी पार्टी की कोशिश एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने की है। ताकि लगातार शक्तिशाली होती बीजेपी से विधानसभा चुनाव में निपटा जा सका है।

अब तक अरविंद केजरीवाल सरकार जनता को कई रियायतें दे चुकी है। महीने में 20 हजार लीटर पानी 2015 में सरकार बनने के बाद ही फ्री कर दिया था। हाल में दो सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी। यही नहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने आगामी 29 अक्टूबर से दिल्ली की डीटीसी, क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलने की भी घोषणा की है। इसके लिए बजट भी सरकार ने पास किया है। 27 अगस्त को सरकार ने पानी के बकाया बिलों को भी माफ कर दिया। सवाल उठ रहा है कि जनता को फायदा पहुंचाने वाली सीएम केजरीवाल की इन घोषणाओं के आगे बीजेपी का कौन सा कार्ड चलेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरह दिल्ली में भी राष्ट्रवार्ड कार्ड पर दांव खेलेगी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय करने से बीजेपी की तरफ से देश को ताकतवर सरकार देने का संदेश गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों और पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। हालांकि, देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल की मुफ्त या माफी वाली घोषणाओं का मुकाबला बीजेपी का राष्ट्रवादी कार्ड कितना काम कर पाएगा? पानी का बकाया बिल माफ करने की घोषणा पर केजरीवाल के सहयोगी रहे और अब साथ छोड़ चुके वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि ऐसी घोषणाएं लोगों को बिल का भुगतान न करने के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हें भविष्य में माफी की उम्मीद होती है, मगर किसको इसकी चिंता है?

200 यूनिट तक बिजली फ्री

दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त से 200 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री में देने का वादा किया है। वहीं 201 यूनिट होने पर बिल देना होगा। 201 से 400 यूनिट तक आधी सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए आप 300 यूनिट बिजली का यूज करते हैं तो फिर आपको 150 यूनिट्स का ही बिल चुकाना होगा।

ऑटो रिक्शा की फिटनेस फीस खत्म

पानी और बिजली में आम लोगों को राहत के साथ ही ऑटो रिक्शा वालों को भी दिल्ली सरकार ने राहत दी है। ऑटो-रिक्शा की फिटनेस पर लगाने वाले चार्ज को खत्म कर दिया है और साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस में 70 फीसदी तक की कटौती की है। यह बदलाव 1 सितंबर से लागू होगा।

बस में महिलाएं करेंगी फ्री सफर

अरविंद केजरीवाल सरकार ने चुनावों से पहले दिल्ली में बसों में महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा का भी ऐलान किया है। 29 अक्टूबर से महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी।

सीबीएसई एग्जाम फीस में भी छूट

दिल्ली सरकार ने 2020 में परीक्षा देने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों की सीबीएसई बोर्ड की फीस भी माफ करने का फैसला लिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि यह फीस वह खुद भरेगी। सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और कॉरेस्पॉडेंस से पढ़ाई करने वाले छात्रों को यह सुविधा मिलेगी।

महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो का भी वादा

दिल्ली सरकार ने एक और बड़े चुनावी दांव के तहत मेट्रो में भी महिलाओं को फ्री सफर की छूट देने की वकालत की है। हालांकि दिल्ली के इस प्रस्ताव से केंद्र सरकार सहमत नहीं है और अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है।

11,000 जगहों पर फ्री वाईफाई

दिल्ली के लोगों को फ्री वाईफाई का वादा करने वाली केजरीवाल सरकार ने 11,000 स्थानों पर ऐसी सुविधा का फैसला लिया है। हालांकि अब तक इस स्कीम के लिए तारीख का ऐलान नहीं हुआ है।

क्या-क्या 'मुफ्त' दे रही 'आप' सरकार ऊपर पढ़िए

राजधानी में विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और दांव चलते हुए पानी के बकाया बिल माफ कर दिए हैं। इसके तहत 13.5 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होने वाला है। 'आप' सरकार के इस फैसले से 10 लाख से ज्यादा यूजर्स का बिल पूरी तरह माफ हो जाएगा। सीएम केजरीवाल के मुताबिक ई, एफ, जी और एच कैटिगरी की कॉलोनियों में रहने वालों के 100 पर्सेंट बिल माफ होंगे। दिल्ली में बिजली से लेकर पानी तक जानें किन-किन चीजों पर मिल रही है छूट-

मच्छरों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव

पूर्वी दिल्ली। नगर निगम के अनारकली वार्ड- 22ई में निगम पार्षद श्रीमति रेखा दीक्षित द्वारा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव के लिए पावर स्प्रे टैंकर द्वारा दवा का छिडकाव करवाया गया। निगम पार्षद रेखा दीक्षित का कहना था कि वार्ड के बड़ा नाला रोड़ पर बरसात के मौसम में मच्छरों की काफी शिकायत आ रही थी। जिस पर उन्होंनेउपस्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय कुमार से समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए कहा। डॉ अजय कुमार ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को पावर स्प्रे टैंकर से वार्ड में दवाई का छिडकाव करवाया। इस मौके पर स्थानीय निगम पार्षद रेखा दीक्षित के साथ मलेरिया निरीक्षक भूले राम शर्मा, सफाई निरीक्षक प्रविन्द्र शर्मा, रवि कुमार, विचित्र सिंह, लखन सिंह कठैत, प्रवीण दीक्षित, प्रीतपाल सिंह, विकास गुलाटी, मंजू गुप्ता, उमा खन्ना, अमृत शर्मा समेत क्षेत्रीय व्यक्ति मौजूद रहे।

आपकी कुंडली से पितृ दोष को दूर करते हैं श्राद्ध

पितृ पक्ष साल 2019 में 13 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के लोगों के लिए इन दिनों का खास महत्व होता है। पितृ पक्ष पर पितरों की मुक्ति और उन्हें ऊर्जा देने के लिए श्राद्ध कर्म किये जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर पितृ नाराज हो जाएं तो घर के सदस्यों की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। ज्योतिष अनुसार भी कुंडली में पितृ दोष काफी महत्व रखता है। इसलिए पितरों को मनाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध किये जाते हैं। इस बार पितृ पक्ष 13 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक रहेंगे। पितृ पक्ष के दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता और ना ही नए वस्त्रों की खरीदारी होती है।

हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक अपने पितरों के श्राद्ध की परंपरा है। यानी कि 12 महीनों के मध्य में छठे माह भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से 7वें माह अश्विन के प्रथम पांच दिनों में यह पितृ पक्ष का महापर्व मनाया जाता है। सूर्य भी अपनी प्रथम राशि मेष से भ्रमण करता हुआ जब छठी राशि कन्या में एक माह के लिए भ्रमण करता है तब ही यह सोलह दिन का पितृ पक्ष मनाया जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि आपको सीधे खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन का मजूबत होना बहुत आवश्यक है, जो शरीर के लगभग मध्य भाग में स्थित है और जिसके चलते ही हमारे शरीर को एक पहचान मिलती है। उसी तरह हम सभी जन उन पूर्वजों के अंश हैं अर्थात हमारी जो पहचान है यानी हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे उसके लिए हर वर्ष के मध्य में अपने पूर्वजों को अवश्य याद करें और हमें सामाजिक और पारिवारिक पहचान देने के लिए श्राद्ध कर्म के रूप में अपना धन्यवाद अर्थात अपनी श्रद्धाजंलि दें।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में हमारे पूर्वज मोक्ष प्राप्ति की कामना लिए अपने परिजनों के निकट अनेक रूपों में आते हैं। इस पर्व में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व उनकी आत्मा की शांति देने के लिए श्राद्ध किया जाता है और उनसे जीवन में खुशहाली के लिए आशीर्वाद की कामना की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जिस तिथि में माता-पिता, दादा-दादी आदि परिजनों का निधन होता है। इन 16 दिनों में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना उत्तम रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी तिथि में जब उनके पुत्र या पौत्र द्वारा श्राद्ध किया जाता है तो पितृ लोक में भ्रमण करने से मुक्ति मिलकर पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए 'श्रीमद भागवत गीता' या 'भागवत पुराण' का पाठ अति उत्तम माना जाता है।

श्राद्ध विधि

श्राद्ध वाले दिन सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लिपकर व गंगाजल से पवित्र कर लें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाने की तैयारी करें। इसके बाद ब्राह्मण को घर पर बुलाकर या मंदिर में पितरों की पूजा और तर्पण का कार्य कराएं। आप चाहें तो ये काम खुद भी कर सकते हैं। पितरों के समक्ष अग्नि में गाय का दूध, दही, घी और खीर अर्पित करें। उसके बाद पितरों के लिए बनाए गए भोजन के चार ग्रास निकालें जिसमें एक हिस्सा गाय, एक कुत्ते, एक कौए और एक अतिथि के लिए रखें। गाय, कुत्ते और कौए को भोजन डालने के बाद ब्राहम्ण को आदरपूर्वक भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दें। ब्राह्मण में आपका दामाद या भतीजा भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणों से बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता तो उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, साग-पात-फल और दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए।

पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध सामान्यतः दोपहर 12 बजे के लगभग करना ठीक माना जाता है। इसे किसी सरोवर, नदी या फिर अपने घर पर भी किया जा सकता है। परंपरा अनुसार, अपने पितरों के आवाहन के लिए भात, काले तिल व घी का मिश्रण करके पिंड दान व तर्पण किया जाता है। इसके पश्चात विष्णु भगवान व यमराज की पूजा-अर्चना के साथ-साथ अपने पितरों की पूजा भी की जाती है। अपनी तीन पीढ़ी पूर्व तक के पूर्वजों की पूजा करने की मान्यता है। पित पृक्ष में पिंड दान अवश्य करना चाहिए ताकि देवों व पितरों का आशीर्वाद मिल सके। पितृ पक्ष में अपशब्द बोलना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना बुरा माना जाता है व इनका त्याग करना ही चाहिए। इस दौरान घर पर लहसुन, प्याज, नॉन-वेज और किसी भी तरह के नशे का सेवन वर्जित माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दिया जलाकर गंगा जल, दूध, घी, अक्षत व पुष्प चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। घर में गीता का पाठ करना भी इस अवधि में काफी अच्छा माना गया है।

यह महत्वपूर्ण है कि पितरों को धन से नहीं, बल्कि भावना से प्रसन्न करना चाहिए। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति जो नाना प्रकार के पकवान बनाकर अपने पितरों को विशेष भोजन अर्पित करने में सक्षम नहीं हैं, वे यदि मोटा अनाज या चावल या आटा और यदि संभव हो तो कोई सब्जी-साग व फल भी यदि पितरों को प्रति पूर्ण आस्था से किसी ब्राह्मण को दान करता है तो भी उसे अपने पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद मिल जाता है। यदि मोटा अनाज व फल देना भी मुश्किल हो तो वो सिर्फ अपने पितरों को तिल मिश्रित जल को तीन उंगुलियों में लेकर तर्पण कर सकता है, ऐसा करने से भी उसकी पूरी प्रक्रिया होना माना जाता है। यदि माता-पिता, दादा-दादी इत्यादि किसी के निधन की सही तिथि का ज्ञान नहीं हो तो इस पर्व के अंतिम दिन यानी अमावस्या को उनका श्राद्ध करने से पूर्ण फल मिल जाता है।

श्राद्ध करने से मिलती है तीन ऋणों से मुक्त

शास्त्रों में समस्त जनमानस के लिए तीन ऋणों का मुख्यत: उल्लेख किया जाता है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इनमें से श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति का निर्देश दिया गया है। निर्णय सिन्धु में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है...

- नित्य श्राद्ध: कोई भी व्यक्ति अन्न, जल, दूध, कुशा, पुष्प व फल से प्रतिदिन श्राद्ध करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है।
- नैमित्तक श्राद्ध- यह श्राद्ध विशेष अवसर पर किया जाता है। जैसे- पिता आदि की मृत्यु तिथि के दिन इसे एकोदिष्ट कहा जाता है। इसमें विश्वदेवा की पूजा नहीं की जाती है, केवल एक पिण्डदान दिया जाता है।
- काम्य श्राद्ध: किसी कामना विशेष के लिए यह श्राद्ध किया जाता है। जैसे- पुत्र की प्राप्ति आदि।

पिता, दादा, परदादा, सपत्नीक और दादी

- वृद्धि श्राद्ध: यह श्राद्ध सौभाग्य वृद्धि के लिए किया जाता है।
- सपिंडन श्राद्ध- मृत व्यक्ति के 12 वें दिन पितरों से मिलने के लिए किया जाता है। इसे स्त्रियॉं भी कर सकती है।
- पार्वण श्राद्ध: पिता, दादा, परदादा, सपत्नीक और दादी, परदादी, व सपत्नीक के निमित्त किया जाता है। इसमें दो विश्वदेवा की पूजा होती है।

संस्कार के अवसर

- गोष्ठी श्राद्ध: यह परिवार के सभी लोगों के एकत्र होने के समय किया जाता है।
- कर्मांग श्राद्ध: यह श्राद्ध किसी संस्कार के अवसर पर किया जाता है।
- शुद्धयर्थ श्राद्ध: यह श्राद्ध परिवार की शुद्धता के लिए किया जाता है।

श्राद्ध यात्रा की सफलता

- तीर्थ श्राद्ध: यह श्राद्ध तीर्थ में जाने पर किया जाता है।
- यात्रार्थ श्राद्ध: यह श्राद्ध यात्रा की सफलता के लिए किया जाता है।
- पुष्टयर्थ श्राद्ध: शरीर के स्वास्थ्य व सुख समृद्धि के लिए त्रयोदशी तिथि, मघा नक्षत्र, वर्षा ऋतु व आश्विन मास का कृष्ण पक्ष इस श्राद्ध के लिए उत्तम माना जाता है।

पितृ पक्ष के विशेष दिन

- प्रतिपदा तिथि को नाना का श्राद्ध किया जाता है।
- चतुर्थी या पंचमी तिथि में उसका श्राद्ध किया जाता है जिसकी मृत्यु गतवर्ष हुयी है।
- अपने जीवन काल में मरने वाली स्त्री का श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है।
- युद्ध, दुर्घटना या आत्महत्या आदि में मृत व्यक्तियों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में किया जाता है।
- अमावस्या तिथि को सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है।

पितरों को प्रसन्न करने के कुछ सरल उपाय

- पीपल व बरगद के पेड़ की नियमित पूजा करने से पितृ दोष का शमन होता है।
- अपने माता-पिता व भाई-बहन की हर सम्भव सहयाता व सहयोग करें।
- प्रत्येक अमावस्या को खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में पितरों का अवाहन करके ब्राह्मणों यथा शक्ति दक्षिणा देकर भोजन करायें।
- सूर्योदय के समय सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मन्त्र का जाप करने से लाभ मिलता है।
- ऊँ नवकुल नागाय विदहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात" मन्त्र की एक माला का पितृ पक्ष में नियमित जाप करना चाहिए।
- घर की पलंगों पर मोर का पंख लगाना चाहिए।
- शनिवार को प्रात: 9 बजे से 10: 30मिनट के मध्य में कोयला नदीं में प्रवाहित करना चाहिए।

सावधान ! कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे

- नाबालिग से एक्सीडेंट हुआ तो पेरेंट्स को सजा
- हिट एंड रन मामले में पीड़ित को 2 लाख का मुआवजा
- सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित परिवार को 10 लाख

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। सावधान! अब सड़कों पर संभलकर गाड़ी चलाएंगे तो फायदें में रहेंगे। वरना ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना आपको काफी मंहगा तो पड़ ही सकता है। खासकर अपने नाबालिग बच्चों को वाहन देना तो और ज्यादा भारी पड़ सकता है। इसके लिए अब आप सीधे-सीधे जिम्मेदार होंगे और आपको जुर्माने के रूप में भारी रकम चुकानी होगी और जेल जाना पड़ेगा अलग। सड़क दुर्घटनाओं से हर साल लाखों लोगों की मौत को सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके ट्रैफिक के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं।

बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। तय सीमा से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाई तो 400 की बजाय एक हजार से 4 हजार रुपये तक जुर्माना भरना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 2000 की जगह अब 10,000 रुपये चुकाना होगा।

बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि 100 रुपये की बजाय अब 1000 रुपये होगी। बिना हेल्मेट के निकले तो भी 100 रुपये जुर्माना देकर नहीं छूट पाएंगे। इसके लिए 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

इसके अलावा सड़क हादसा अगर किसी नाबालिग की वजह से हुआ तो हादसे के लिए नाबालिग के माता पिता या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो रद्द होगा ही 25 हजार रुपये जुर्मानें के साथ-साथ 3 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। यही नहीं हिट एंड रन मामलों में पीड़ित को मुआवजा राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। जबकि सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित के परिवार को अब 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में इन बदलावों को काफी कारगर मान रही है लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ जुर्माना बढ़ा देने से सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। जानकारों को लगता है कि नए नियमों को लागू करना ज्यादा अहम होगा। नए मोटर वेहिकल कानून में ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर निर्भरता भी कम की गई है। ड्राईविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाईन होगी। साथ ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब डीलर खुद कर पाएंगे। कमर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस अब 3 साल की बजाय 5 साल तक वैध रहेगा। इसके अलावा दुर्घटना होने पर इंश्योरेस क्लेम करने की प्रक्रिया भी आसान की गई है।

नियमों के उल्लंघन पर ये हैं जुर्माना

उल्लंघन	पहले	अब
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर	1,000	5,000
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग	1,000	2,000
ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात	1,000	5,000
ड्रंकन ड्राइविंग	500	10,000 छह माह जेल (पहली बार) 15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर	500	10,000
दुपहिया पर ओवरलोडिंग	100	2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन)
बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट पर	1000	2000
बिना डीएल ड्राइविंग पर	1000	5000
बिना इंश्योरेंस पर	1000	2000
गति सीमा तोड़ने पर	400	1000
बिना सीट बेल्ट	300	1000
गलत पार्किंग पर	100	500
बिना हेलमेट दुपहिया चलाने पर	100	1000
खतरनाक ड्राइविंग पर	1000	5000
ड्राइविंग के समय सेल्फी लेने पर	0	2000

पांच से सौ गुणा तक बढ़ी जुर्माना राशि

अगर अब तक आप कम जुर्मानें की राशि को लेकर बेपरवाह होकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते थे या फिर यातायात नियमों को नजरअंदाज करते थे तो इस बार सावधान हो जाइए। नए वाहन एक्ट में नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्मानें की राशि इतनी ज्यादा रखी गई है कि अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपके जेब पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। सड़क सुरक्षा प्रवर्तन विभाग ने नए वाहन एक्ट में जुर्माना की राशि पांच से सौ गुणा तक बढ़ा दी है। पहली बार एक्ट में किए गए प्रावधान के इमरजेंसी वाहन को गुजरने के लिए रास्ता नहीं देने वाले से दस हजार रुपए जुर्माना वसूलने के लिए कहा गया है। गति सीमा तोड़ने पर 400 रुपये की जगह अब एक हजार और मध्यम श्रेणी के कमर्शियल वाहन के लिए दो हजार रुपये जुर्माना वसूलने का नियम बनाया है। अगर बिना हेलमेट पहने बाइक, स्कूटर, स्कूटी, बुलेट सहित अन्य दोपहिया वाहन चलाते पकड़ा तो आपकी वाहन की लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित की जा सकती है।

विशेष खबर से साक्षात्कार में भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कहा

डंपिंग ग्राउंड विकसित न होने के लिए जीडीए जिम्मेदार

गाजियाबाद। सामाजिक और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने वाले नगर निगम गाजियाबाद के वरिष्ठ भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी से विशेष खबर के समाचार संपादक प्रदीप वर्मा ने कई गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की। वार्ड के लोगों के प्रति उनकी गंभीरता और विकास कार्यों में रुचि को देखते हुए जनता पार्षद राजेंद्र त्यागी को लगातार पांच बार से अपना जनप्रतिनिधि चुन रही है। नगर निगम समेत सामाजिक मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं, आइए जानते हैं, उनके साथ हुए एक साक्षात्कार में।

- ट्रैफिक जाम करने वाले साइकिल ट्रैक को हटाना जरूरी
- पुलिस के बड़े अधिकारी पहले अपने विभाग पर लागू करें नए ट्रैफिक नियम
- हाईकोर्ट में लंबित है एक दर्जन से ज्यादा सामाजिक मुद्दे

स्वच्छ भारत मिशन में साल 2018-19 में गाजियाबाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले स्थान पर आया था लेकिन इस बार हालात वैसे नहीं है, बल्कि और बदतर हो गए हैं। इसका आप क्या कारण मानते हैं?

सभी पार्षदों व महापौर की ओर से तय किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन में गाजियाबाद की स्थिति जो पिछले वर्ष थी, उसे बरकरार रखने के लिए मेहनत की जाएगी। लेकिन गाजियाबाद को नंबर वन बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है डंपिंग ग्राउंड। कूड़ा डालने की कोई जगह न होने के कारण जितनी गति से कूड़ा उठना चाहिए या नहीं हो पा रहा है। डंपिंग ग्राउंड को विकसित करके नगर निगम को हैंडओवर करने का दायित्व जीडीए का था। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कारण ही गाजियाबाद में आज तक डंपिंग ग्राउंड नहीं मिल पाया। वर्ष 2004 में ही डूंडाहेड़ा में डंपिंग ग्राउंड तय हो गया था। सारे विभागों और हिंडन एयर फोर्स एनओसी मिल गई थी। 6 करोड रुपए डंपिंग ग्राउंड को विकसित करने के लिए 14 एकड़ जमीन पर लगाया गया। लेकिन स्थिति जीडीए नहीं खराब कर दी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने डंपिंग ग्राउंड के चारों ओर प्राइवेट बिल्डर्स को उनके प्रोजेक्ट पास कर दिए, जिसके बाद विरोध हुआ और मामला आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि हाईकोर्ट से नगर निगम जीत चुका हैं। पिलखुआ के पास डंपिंग ग्राउंड बनाना कोई व्यावहारिक नहीं है। इसलिए सारे विभागों को इसमें सोचना होगा, क्योंकि सभी सरकारी विभागों का कूड़ा निकलता है और नगर निगम का दायित्व है, उसका निस्तारण करना। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि डंपिंग ग्राउंड मसला जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि गाजियाबाद को स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में नंबर वन बनाया जा सके।

गाजियाबाद नगर निगम के पार्षदों की एक बड़ी समस्या यह है कि फंड पास होने के बाद भी उनके क्षेत्र में काम शुरू नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर अभी हाल ही में कुछ पार्षदों ने विजय नगर जोन में अपना विरोध भी दर्ज किया। इसमें भाजपा के पार्षद भी शामिल हैं। आपका क्या कहना है कि क्या गाजियाबाद नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा ?

ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वार्डों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। प्रतिदिन सोशल मीडिया पर गाजियाबाद नगर निगम के पार्षद विकास कार्यों के शिलान्यास की फोटो पोस्ट कर रहे हैं। जिससे साफ है कि नगर निगम क्षेत्र में विकास हो रहा है। यह बात अलग है कि किसी के क्षेत्र में काम ज्यादा हो रहा है और किसी वार्ड में कम। यह विरोध दर्ज करने वालों की अपनी निजी समस्या भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रही है। अभी हाल ही में महापौर ने आदेश किए हैं कि सितंबर तक सभी विकास कार्यों के टेंडर होकर उनका काम शुरू हो जाना चाहिए।

समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए साइकिल ट्रैक आज एक बड़ा मुद्दा बन गए। साइकिल ट्रैक से साइकिल गायब हो चुकी है और अब उन पर अवैध कब्जे हो गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए इन साइकिल ट्रैक का उपयोग हो, इसके लिए नगर निगम को क्या कदम उठाने चाहिए?

विकास कार्य चाहे किसी भी सरकार में हुए हूं उसका उपयोग होना ही चाहिए चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो। गाजियाबाद में 12 करोड़ साइकिल ट्रैक बनाने पर खर्च हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश में 370 करोड रुपए खर्च हुए। यह बात अलग है कि इस साइकिल ट्रैक की उपयोगिता ना तब थी और ना अब है। इसकी वजह है गाजियाबाद में बेतहाशा ट्रैफिक का बढ़ना। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से बच्चों का साइकिल से जाना नामुमकिन हो गया है। इसी तरह गाजियाबाद से फैक्ट्रियां कम होती जा रही है। जिसकी वजह से साइकिल से अपने कार्य पर जाने वाले श्रमिकों के लिए भी साइकिल ट्रैक उपयोगी नहीं रहा है। लोगों के संसाधन बड़े हैं और वह बाइक पर आकर हैं। इसलिए अब साइकिल ट्रैक का कोई मतलब नहीं है। रही बात साइकिल ट्रैक पर अवैध कब्जों की तो नगर निगम को इनसे अतिक्रमण तुरंत हटाना चाहिए और अगर ट्रैफिक में बाधा आए तो साइकिल ट्रैक को तुरंत हटा देना चाहिए।

आप जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं और जिन पर आपको काफी उपलब्धि मिली है। लेकिन आपके विरोधी इसको एक अलग नजरिया से देखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?

विरोधियों का काम आलोचना करना और आरोप लगाने का है। मैं इन चीजों से परेशान नहीं होता। हम जैसे कार्यकताओं और समाचार पत्र का काम मुद्दे उठाने का है, जिसका हम फॉलोअप भी करते हैं। लेकिन क्या हम जांच एजेंसी है या हमारे हाथ में ऐसी कोई पावर है, जिससे हम तुरंत समस्याओं का समाधान कर दें। हमने जो भी मुद्दे उठाएं है, उन्हें यहां से हाईकोर्ट तक पहुंचाया है। हमने अब तक करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन बचाने का काम किया है। मेरी आज भी एक दर्जन से ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

- स्वर्ण जयंती पुरम के 139 भूखंड हाईकोर्ट के आदेश पर जीडीए को कैंसिल करने पड़े। इस मामले में करीब 40 अधिकारियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो चुकी है उन पर कार्यवाही होनी शेष है। यह मामला भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
- सांसदों और विधायकों को आउट ऑफ टर्न भूखंड देने का मामला हमने उठाया, वह आज भी कोर्ट में है।
- हमने आईएमटी का मुद्दा उठाया सब जानते हैं, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है।
- हमने हिंदी भवन का मुद्दा उठाया। वह भी सही पाया गया और शासन ने भी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। हमने जितने भी मामले उठाए, उनमें कार्रवाई हुई है।
- हमने साईं उपवन का मुद्दा उठाया और उसमें इको पार्क बनवाया, वरना साईं उपवन का समाप्त हो जाता।

ऐसे में जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वह पूरी तरह निराधार हैं और वह संकुचित मानसिकता के लोग हैं। मैं कोई वाहवाही लूटने के लिए काम नहीं करता बल्कि अपनी आत्म संतुष्टि और समाज के लिए काम करता हूं।

नगर निगम को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या नया और अच्छा किया जा सकता है?

गाजियाबाद को साफ बनाने के लिए पहले जरूरी है कि नियमित रूप से कूड़ा उठे नालों की सफाई हो और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त रहे। स्वच्छता के लिए आवश्यक है कि गाजियाबाद में पार्कों के रूप मंओ जो हमारी धरोहर है उसका नियमित रख रखाव हो और सुंदर बनाने के लिए जरूरी है कि गाजियाबाद की सड़कें गड्ढा मुक्त रहें, उनकी पटरी हो पर हरियाली लगे ?। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो और प्रदूषण रहित रखने के लिए जाम की समस्या को दूर किया जाए। शहर की व्यवस्था सुचारू चलें, इसी से गाजियाबाद को अव्वल रखा जा सकता है।

नए नियमों के लिए स्कूल-कॉलेजों में लगे कार्यशाला

मोटर व्हीकल एक्ट में जो जुमार्ने का प्रावधान अधिक किया गया है, वह कितना सही है? आप क्या मानते हैं कि इससे सड़क हादसों से होने वाली मौतों में कमी आएगी?

हम दिल्ली के नजदीक रहते हैं और जब दिल्ली जाते हैं तो अपने गाड़ी के कागज चैक करते हैं। दिल्ली में घुसते ही सीट बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वापस यूपी में एंट्री करते हैं तो सीट बेल्ट खोल देते हैं?। यह हम दिल्ली में इसलिए करते हैं क्योंकि वहां ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती ज्यादा है। जबकि यह नियम हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं ताकि हम सुरक्षित घर पहुंच सकें। हमारे देश में बिना सख्ती के कोई काम नहीं होता। हमारे लोग सख्ती की भाषा समझते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि पुलिस के बड़े अफसर पहले अपने विभाग में इन नियमों का सख्ती से पालन कराएं। अक्सर सड़क पर देखा गया है कि तीन पुलिसकर्मी एक बाइक पर होते हैं और उनके ड्राइवर के सिर पर हेलमेट भी नहीं होता। ड्राइविंग करते समय पुलिसकर्मी सीट बेल्ट भी नहीं लगाते। इसलिए पुलिस के बड़े अफसरों को पहले अपने विभाग से इसकी शुरूआत करनी चाहिए और स्कूल कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों से अवगत कराना चाहिए। ताकि नए नियमों का कड़ाई से पालन हो सके।

परमाणु युद्ध होने पर भी मुंह की खायेगा पाकिस्तान

वाईसी कुरेले
समाजसेवी

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से भारत-पाकिस्तान के बीच संबंधों में काफी खटास बनी हुई है। पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका के अलावा तमाम इस्लामिक देशों से इसमें दखल देने की अपील की मगर किसी देश ने उसका साथ नहीं दिया। यहां तक की खाड़ी देशों के मुस्लिम बहुल देश भी पाकिस्तान की मदद को खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इमरान खान उनसे मदद करने और इसमें दखल देने की अपील कर रहे है मगर नाकामयाबी हासिल हो रही है। कहीं से किसी तरह से मजबूत मदद और साथ न मिलने से इमरान खान बौखलाए हुए हैं, नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान एकदम से अकेला पड़ गया है।

दुनिया के 10 देशों की सैन्य शक्तियों की तुलना करें तो पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है, भारत की सैन्य शक्ति के मुकाबले वो कहीं नहीं ठहरता है मगर फिर भी वो भारत से युद्ध करने की धमकी दे रहा है। यदि किसी भी तरह से पाकिस्तान भारत से युद्ध करने की गलती करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। भारत की सैन्य क्षमता के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। उसके बाद भी वो तमाम तरह से भारत की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए काम करता रहता है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत हर मामले में भारत से आधी है। भारत के पास पाकिस्तान से लड़ाकू विमानों की संख्या भी अधिक है। भारत के पास 2185 लड़ाकू विमान हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 1281 लड़ाकू विमान हैं। भारत के पास 4426 टैंक है जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2182 ही टैंक हैं।

चीन के बाद भारत दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति

देशों की सैन्य ताकत का सालाना आकलन करने वाली संस्था आइआइएसएस के आंकड़ों के मुताबिक सैन्य कर्मियों की संख्या के मामले में चीन पहले स्थान पर है जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। इसी कड़ी में उत्तर कोरिया तीसरे, पाकिस्तान चौथे, दक्षिण कोरिया पांचवें, वियतनाम 6 वें, म्यांमार 7 वें, इंडोनेशिया 8 वें, थाईलैंड 9 वें और श्रीलंका 10 वें स्थान पर है।

परमाणु युद्ध हुआ तो दांव पर पूरी दुनिया

दोनों तरफ तनाव बराबर बना हुआ है। मगर फिलहाल ऐसा भी नहीं है कि दोनों देश खुद को जंग में झोंक दें। पर अगर मान लें कि दोनों देश जंग में कूद पड़ते हैं और फिर कहीं भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग शुरू हो गई तो क्या होगा? तस्वीर भयानक होगी। एक हफ्ते में ही 2 करोड़ दस लाख लोग मारे जाएंगे। इनमें से 50 लाख लोग बम की तपिश में झुलस जाएंगे। जो बचेंगे उन्हें रेडिएशन मार देगा। दुनिया से सर्दी-गर्मी का मौसम ही खत्म हो जाएगा। आधी ओजोन परत बर्बाद हो जाएगी। वनस्पतियों और पेड़-पौधों का निशान मिट जाएगा। आधी दुनिया भूख से मर जाएगी। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान और उसके कप्तान इमरान खान से लेकर वहां के मंत्री तक परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। बरसों बरस इन गीदड़भभकियों से आजिज आकर भारत के गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह ने निंदा करने की बजाए नीति बदलने पर विचार करने के संकेत दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत भी ऐटमी हथियारों को पहले प्रयोग नहीं करने की नीति बदल सकता है। बता दें कि भारत ने लंबे समय से पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति का ऐलान किया है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि परिस्थितियों के अनुसार भारत अपनी इस रणनीति में बदलाव कर सकता है। क्या सच में दोनों देश परमाणु युद्ध करेंगे? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि अगर दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध होता है तो बात सिर्फ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की नहीं बल्कि दांव पर पूरी दुनिया होगी।

भारत और पाकिस्तान में होगी कितनी तबाही

दिल्ली के इंडिया गेट पर यदि 100 केटी की क्षमता वाला परमाणु बम गिरता है तो फॉयरबॉल (दायरा 0.79 किलोमीटर) के क्षेत्र में आने वाली सभी चीजें गैस में तब्दील हो जाएंगी यानि कि इंडिया गेट के 0.79 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी चीजें विलुप्त हो सकती हैं। एयरब्लास्ट-1 का दायरा 3.21 किलोमीटर का होता है। इस दायरे में आने वालीं सभी इमारतें जमींदोज हो जाएंगी और सौ प्रतिशत तबाही होगी। इसका रेडिएशन 10.5 किलोमीटर तक फैलेगा जिससे 50 से 90 प्रतिशत तबाही होगी। रेडियोएक्टिविटी की चपेट में रेवाडी, रोहतक, हिसार, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा और अलवर होंगे।

वहीं एयरब्रस्ट-2 के दायरे 14.2 किलोमीटर में आने वाली ज्यादातर इमारतें धराशायी हो जाएंगी। परमाणु हमले का थर्मल रेडिएशन 47.9 किलोमीटर तक फैलेगा और 100 प्रतिशत थर्ड डिग्री बर्न की आशंका रहेगी। एयरब्लास्ट-3 का दायरा 93.7 किलोमीटर का होता है। इस दायरे में इमारतों के कांच टूट जाएंगे। परमाणु हमले के विकिरण का प्रभाव बहुत कुछ हवा के बहाव पर निर्भर करेगा। परमाणु हमले से होने वाला विकिरण काफी दूर तक जाता है। दिल्ली पर गिरने वाले बम का विकिरण रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा और अलवर तक को अपनी चपेट में ले लेगा।

इस्लामाबाद पर यदि 100 केटी का परमाणु बम गिरा तो वहां भी तबाही व बबार्दी का मंजर कमोबेश दिल्ली जैसा ही होगा। परमाणु हमले से पैदा होने वाले विकिरण के प्रभाव में एबटाबाद, पेशावर, बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा और जलालाबाद आएंगे।

परमाणु हथियारों में रूस सबसे आगे

आज दुनिया के पास पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा क्षमता वाले परमाणु बम हैं। ऐसे में परमाणु युद्ध के बाद की तस्वीर भयावह होगी। दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। इस रेस में सबसे आगे रूस और अमेरिका हैं।

रूस- 6500 परमाणु हथियार
अमेरिका- 6185 परमाणु हथियार
फ्रांस- 300 परमाणु हथियार
चीन- 290 परमाणु हथियार
ब्रिटेन- 215 परमाणु हथियार
इस्राइल- 80 परमाणु हथियार
पाकिस्तान- 140-150 परमाणु हथियार
भारत- 130-140 परमाणु हथियार
उत्तर कोरिया- 20-30 परमाणु हथियार

पाकिस्तान के पास हैं भारत से ज्यादा परमाणु बम

भारत के पास इस वक्त करीब 110-120 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 120-130 परमाणु बम हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने कई छोटे-छोटे परमाणु हथियार तैयार कर रखे हैं, जिसके इस्तेमाल की धमकी वो हमेशा देता रहता है। भारत के पास छोटे-छोटे परमाणु हथियार नहीं है। जो भी हैं, उनका असर बड़ा और खतरनाक हो सकता है। भारत की मिसाइलों की जद में पूरा पाकिस्तान आता है। जबकि पाकिस्तान की मिसाइल 2750 किलोमीटर तक परमाणु हथियारों से हमला कर सकती है।

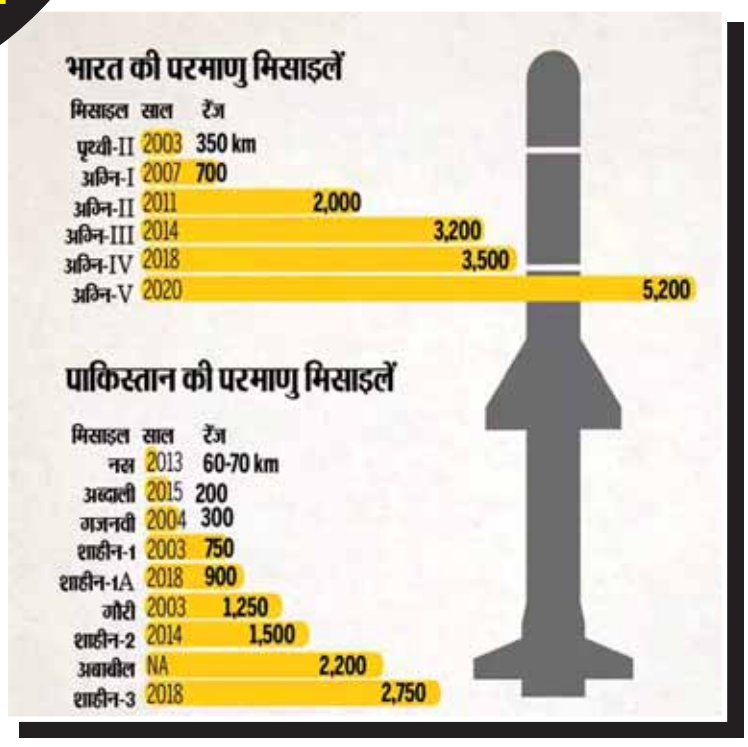

एयर ब्लास्ट क्या होता है?

एयर ब्लास्ट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है हवा में ब्लास्ट होना। ये हवा में विस्फोट होने के बाद उच्च क्षमता का दबाव बनाता है और थर्मल रेडिएशन को बढ़ाता है। हिरोशिमा में गिराया गया 15 किलोटन का परमाणु बम हवा में ही विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद तेज झटके उत्पन्न होते हैं, हवा के दबाव में अचानक बदलाव आता है, हवा के दबाव में बदलाव के बाद इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। इससे लाखों लोगों की जान भी जा सकती है और पेड़-पौधे भी नष्ट हो सकते हैं।

यूनिपोल माफियाओं का गोरखधंधा

विज्ञापन माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में डीएम

- बिना ठेका छूटे ही सड़कों पर लगा दिए यूनिपोल
- नगर निगम को करोड़ों की चपत लगा रहे माफिया
- अवैध यूनिपोल से अपनी जेबें भर रहे माफिया

विशेष संवाददाता

गाजियाबाद। नगर निगम की मिलीभगत से अवैध यूनिपोल और होर्डिंग का धंधा खूब फलफूल रहा है। यूनिपोल माफियाओं ने उन सड़कों पर भी यूनिपोल का जाल बिछा दिया है, जिन पर नगर निगम ने ठेका दिया भी नहीं। प्रताप विहार से होकर गुजर रही न्यू लिंक रोड और राजनगर एक्सटेंशन पर बिना ठेका छूटे ही यूनिपोल लगा दिए गए हैं। जिससे विज्ञापन माफियाओं को मोटी कमाई हो रही है, लेकिन नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में डीएम अजय शंकर पांडेय हरकत में आ गए है और उन्होंने नगर निगम व जीडीए से ब्यौरा तलब किया है।

मेरठ हाइवे से एनएच-9 को जोड़ने वाली न्यू लिंक रोड को जीडीए ने बनाया है। इसका मेंटेनेंस अभी भी जीडीए कर रहा है। नोएडा-दिल्ली से गाजियाबाद-मेरठ जाने वाले अधिकतर वाहन इसी न्यू लिंक रोड़ से होकर गुजरते हैं। इस पर वाहनों की संख्या बढ़ी तो ह्ययूनिपोल माफियाओंह्ल को यहां बिजनेस नजर आने लगा। उन्होंने मेरठ तिराहे से लेकर एनएच-9 तक 47 स्थानों पर यूनिपोल, गेट एंट्री और कैंटीलीवर साइनेज लगा दिए गए हैं। इन यूनिपोल और विज्ञापनों को लगाने में मानकों का भी ख्याल नहीं रखा गया। न तो दो यूनिपोल के बीच दूरी और न ही लंबाई चौड़ाई तय मानकों के मुताबिक है। हैरानी की बात यह है कि इस मार्ग से नगर निगम अधिकारी, जिला प्रशासन अधिकारी, मेयर और नगर विकास मंत्री भी अक्सर आते-जाते रहते हैं, बावजूद इसके इन अवैध यूनिपोल पर कार्रवाई नहीं हुई।

राजनगर एक्सटेंशन ऐसा क्षेत्र है जिसे न जीडीए अपना मानता है और न ही नगर निगम। इसका सबसे फायदा यूनिपोल माफियाओं को मिला है। यहां 50 से ज्यादा प्वाइंट पर बड़े-बड़े यूनिपोल खड़े कर दिए गए हैं। अब जीडीए अधिकारी विज्ञापन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी न बताकर कार्रवाई नहीं करते और नगर निगम यह क्षेत्र हैंडओवर न होने की बात कहकर कार्रवाई से पल्ला झाड़ लेते हैं।

यूनिपोल माफियाओं पर डीएम करेंगे शिकंजा

जगह-जगह अवैध यूनिपोल लगाकर कमाई कर रहे विज्ञापन माफियाओं के खिलाफ अब डीएम ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। डीएम अजय शंकर पांडेय ने आदेश जारी कर नगर निगम, जीडीए समेत सभी नगर निकायों और जिला पंचायत से निर्धारित प्रोफार्मा पर विज्ञापन ठेकों और शहर में लगे विज्ञापनों की सात बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। अवैध रूप से विज्ञापन लगाने वालों पर जिला प्रशासन एफआईआर कराएगा। पहली बार जिला प्रशासन इस तरह का संगठित अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में डीएम डा. अजय शंकर पांडेय ने कहा कि शहर में यूनिपोल की बाढ़ सी आ गई है। इस संबंध में नगर निगम व अन्य संबंधित विभागों से सूचनाएं मांगी गई हैं। शहर में अवैध विज्ञापन नहीं होने दिए जाएंगे। अवैध रूप से विज्ञापन लगाने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन फर्मों से विभागीय अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत पाई गई तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हादसे का कारण बन सकते हैं यूनिपोल

राजनगर एओए फेडरेशन के संरक्षक प्रमोद धनकड़ बताते है कि राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में अवैध यूनिपोल की बाढ़ सी आ गई है। 10-15 मीटर की दूरी पर बेशुमार यूनिपोल लगा दिए गए हैं। यह कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। नगर निगम और जीडीए दोनों ही यहां यूनिपोल का ठेका छोड़ने से इंकार कर रहे हैं।

शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं

नगर निगम पार्षद संजीव त्यागी ने बताया कि नगर निगम और जीडीए दोनों के अधिकारियों से अवैध यूनिपोल की शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अवैध रूप से लगाए गए इन यूनिपोल के गिरने का खतरा बना रहता है। जिलाधिकारी से इस संबंध में शिकायत कर कार्रवाई की मांग करेंगे।

धड़ल्ले से लग रहे हैं यूनिपोल

विजयनगर के रहने वाले मुकेश शर्मा का कहना है कि विजयनगर क्षेत्र और न्यू लिंक रोड पर भी अवैध यूनिपोल धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं। नगर निगम की ओर से खुद यूनिपोल पर लिखा जाना चाहिए कि वह वैध है या नहीं। इससे अवैध यूनिपोल खुद ही नजर में आ जाएंगे और लोग इसकी शिकायत भी कर सकेंगे।

डीएम ने ये मांगा ब्यौरा

होर्डिंग्स, यूनिपोल, फुटओवर ब्रिज या गेट एंट्री आदि का क्रमांक, उसके लगाए जाने का स्थान, किस फर्म द्वारा लगाया गया उसका नाम व पता, किस विभाग की अनुमति से लगाया गया उसकी अनुमति का आदेश व दिनांक, अनुबंध की अवधि, अनुबंध है या नहीं, अनुबंध जारी करने वाली संस्था को इससे प्राप्त आय की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा फुटओवर ब्रिज में एस्केलेटर की व्यवस्था है या नहीं, विज्ञापन फर्मों के नाम और उनके संचालकों के नाम मांगे गए हैं। ट्रैफिक विभाग और संभागीय परिवहन कार्यालय से भी सर्वे कराया जाएगा कि यातायात में कौन से विज्ञापन, यूनिपोल आदि बाधक बने हुए हैं। यही नहीं विज्ञापन एजेंसी को भी इसी प्रारूप पर अलग से सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी और शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा।

यूनिपोल मामला सुर्खियों में आने के बाद हरकत में आया नगर निगम

गाजियाबाद। अवैध यूनिपोल पर शोर-शराबा होने के बाद नगर निगम ने एक फर्म को नोटिस दिया है और एक सप्ताह में 2.84 करोड़ रुपये विज्ञापन शुल्क जमा कराने का आदेश दिया है। चेतावनी दी है कि धनराशि जमा न कराने पर यूनिपोल का अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने बताया कि मेसर्स गैट मोर को नोटिस दिया है। उन्होंने बताया कि फर्म को बीओटी (बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर) पर 150 यूनिपोल और गेट एंट्री लगाने की इजाजत दी गई थी।

अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट कहा गया था कि यूनिपोल और गेट एंट्री पर आधे हिस्से में दिशा सूचक पट लगाने हैं। इसके बावजूद फर्म ने इस शर्त को पूरा नहीं किया। दिशा सूचक पट की जगह तक विज्ञापन लगा दिया। आपत्ति जताने पर 50 फीसद यूनिपोल पर दिशा सूचक पट लगाए गए। नगर आयुक्त ने बताया कि इस मामले में जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर फर्म को नोटिस भेजा गया है। जितने

यूनिपोल और गेट एंट्री पर दिशा सूचक पट की जगह विज्ञापन लगाए गए। उसके हिसाब से विज्ञापन शुल्क की गणना करके फर्म को 2.84 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी फर्म की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी।

नगर निगम ने सोमवार को राजनगर एक्सटेंशन में अवैध यूनिपोल काटने का अभियान चलाया। एक दर्जन यूनिपोल काटे गए। अपर नगर आयुक्त आरएन पांडेय ने बताया कि इस मामले में यूनिपोल लगाने वाली फर्म और उन पर विज्ञापन लगवाने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पिछले दिनों राजनगर एक्सटेंशन वासियों ने शिकायत की थी कि यूनिपोल माफियाओं ने इसी आवासीय योजना की ज्यादातर सड़कों पर कब्जा कर लिया है। जगह-जगह बिना अनुमति के यूनिपोल लगा दिए गए। नगर आयुक्त ने पिछले दिनों यूनिपोल काटने का निर्देश जारी किया था। उस पर कार्रवाई की गई है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक विनीतकांत पाराशर द्वारा भारद्वाज प्रिंटर्स, शॉप नं. 1, प्रिया सिनेमा मार्केट, मुरादनगर, गाजियाबाद से छपवाकर सैकेंड ए-288 नेहरूनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से प्रकाशित किया। संपादक विनीतकांत पाराशर, RNI: UPHIN/2017/74151 प्रशासनिक कार्यालय : ए-288 नेहरूनगर द्वितीय, गाजियाबाद।